संख्या-2/2018-210 ई/1-तेरह2018-

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग 1- लखनऊ::दिनॉक:जनवरी 30 ,2018

विषय:-प्रदेश की चीनी मिल, आसवनी, देशी एवं विदेशी मदिरा के थोक एवं फुटकर दुकानों/ अनुज्ञापनों आदि के निरीक्षण हेतु चेक प्वाइंट का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक शासनादेश संख्या-1/2018-29 ई-1/तेरह-2018, दिनॉक 08 जनवरी, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मादक वस्तुओं से संबंधित गतिविधियों को विनिश्चित एवं नियंत्रित करते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्ति के लिए प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि हेतु प्रभावी प्रवर्तन मार्गनिर्देशन में विभाग की 10 यूनिटों के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट उक्त शासनादेश दिनॉक 08 जनवरी, 2018 के द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त **डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक दुकान (एफ0एल-16) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-1), डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक दुकान (एफ0एल-17) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-2), एफ0एल0-39,40 तथा 41 अनुज्ञापनों के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-3) संलग्न की जा रही है।**

अत: कृपया तद्नुसार संलग्न चेक लिस्ट के आधार पर सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में शासनादेश संख्या-1/2018-29 ई-1/तेरह-2018, दिनॉक 08 जनवरी, 2018 में निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार निरीक्षण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी **)**
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–2/2018-210 (1) ई-1/तेरह-2018/तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन।**
4. **समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार।**
5. **समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या - **210** ई-1-तेरह/2018**,** दिनॉक **30** जनवरी**,** का 2018 **(**संलग्नक-**1)**

डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक दुकान (एफ0एल0-16) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

निरीक्षण की तिथि व समय-

1. दुकानकानाम- स्थान का नाम-
2. (a)अनुज्ञापी का नाम व पता-

   (b)पैन नम्बर-

   (c)आधार नम्बर-

   (d) मोबाईल नम्बर-

3. दुकान का अधिकारियों द्वारा विगत में कृत दुकान निरीक्षण का विवरणः-

क्रम सं.	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम	निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4

4. दुकान का विक्रेता अनुमोदित है या नहीं।

5. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

   (a)दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं।

   (b)क्या परिसर की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(c)निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये।

6. अनुज्ञापन के नवीनीकरण का विवरण-

(a)अनुज्ञापन प्रथम बार निर्गत करने की तिथि-

(b)नवीनीकरण करने वाले अधिकारी का नाम-

(c)चलित वर्ष में नवीनीकरण की तिथि-

(d)दुकान का वार्षिक निर्धारित कोटा (ब0ली0में)

(e) दुकान का मासिक निर्धारित कोटा (ब0ली0में)

7. अनुज्ञापी द्वारा विकृत सुरा (डिनेटर्ड स्प्रिट) के क्रय का विवरण-

आसवनी का नाम जहाँ से स्प्रिट क्रय की गई है	मात्रा (ब0ली0में)	क्रय करने की तिथि

8. (a)क्या सक्षम अधिकारी द्वारा आसवनी से निर्गत पास सत्यापित किया गया है? यदि हाँ तो सत्यापन की तिथि-

(b) क्या पास सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित आसवनियों को भेजा जा रहा है? यदि हाँ तो भेजने की तिथि-

9. स्टाक का सत्यापन (बल्क लीटर में)

लेखानुसार स्टाक-

वास्तविक स्टाक-

व्यतिक्रम/अन्तर-

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. क्या प्रत्येक एफ0एल0-17 अनुज्ञापन/एफ0एल0-18 परमिट धारकों को डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री के लिए एफ0एल0-27 पास निर्गत किये जा रहे हैं?

11. (a)क्या बिक्री पंजिका (एफ0एल0-30) नियमानुसार बनायी गयी है? हाँ या नहीं।

(b)क्या बिक्री पंजिका में प्रत्येक एफ0एल0-17 अनुज्ञापन/एफ0एल0-18 परमिट धारकों के लिए वर्णानुक्रम में अलग-अलग पृष्ठ आवंटित किये गये है? हाँ या नहीं।

12. क्या एफ0एल0-16 अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-17 अनुज्ञापनधारक तथा एफ0एल0-18 परमिट धारक को निर्धारित तीव्रता की डिनेचर्ड स्प्रिट का विक्रय किया जा रहा है? हाँ या नहीं।

13. क्या एफ0एल0-16 अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-17 अनुज्ञापनधारक तथा एफ0एल0-18 परमिट धारक को निर्धारित कोटा/ निर्धारित मात्रा से अधिक डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं?

14. (a)एफ0एल0-16 दुकानों में विकृत स्प्रिट युक्त समस्त पात्रों पर लाल रंग में छपा लेबिल लगाया गया है? हाँ या नहीं।

(b)क्या पात्रों पर चस्पा लेबिल पर खोपड़ी तथा एक दूसरे को काटती हुयी हड्डियाँ प्रदर्शित है? हाँ या नहीं-

(c)क्या पात्रों पर चस्पा लेबिल पर हिन्दी व उर्दू में "पीने का निषेध है" अंकित है? हाँ या नहीं-

(d)क्या लेबिल पर चेतावनी "जहर-खबरदार पीना मत खतरनाक है" शब्द अंकित है? हाँ या नहीं-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. क्या अनुज्ञापी द्वारा डिनेचर्ड स्प्रिट की दैनिक आय व बिक्री तथा अवशेष का दैनिक लेखा अनुरक्षित किया जा रहा है? हाँ या नहीं-

16. डिनेचर्ड स्प्रिट की दुकान के अन्दर साफ सफाई की स्थिति-

17. क्या अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

18. अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

19. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं-

20. दुकान का साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति-

21. क्या अनुज्ञापी द्वारा डिनेचर्ड स्प्रिटको मानव उपभोग के योग्य बनाया जा रहा है? हाँ या नहीं-

22. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक दुकान (एफ0एल0-17) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

निरीक्षण की तिथि व समय- **निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम-**

रजिस्टर संख्या- वर्ष-

1. दुकानकानाम- स्थान का नाम-
2. (a)अनुज्ञापी का नाम व पता-

   (b)पैन नम्बर-

   (c)आधार नम्बर-

   (d) मोबाईल नम्बर-
3. दुकान का अधिकारियों द्वारा विगत में कृत दुकान निरीक्षण का विवरणः-

क्रम सं.	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम	निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4

4. दुकान का विक्रेता अनुमोदित है या नहीं।
5. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

   (a)दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं।

   (b)क्या परिसर की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित है?

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c)निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये।

6. अनुज्ञापन के नवीनीकरण का विवरण-

(a)अनुज्ञापन प्रथम बार निर्गत करने की तिथि-

(b)नवीनीकरण करने वाले अधिकारी का नाम-

(c)चलित वर्ष में नवीनीकरण की तिथि-

(d)दुकान का वार्षिक निर्धारित कोटा (ब0ली0में)

(e) दुकान का मासिक निर्धारित कोटा (ब0ली0में)

7. अनुज्ञापी द्वारा विकृत सुरा (डिनेटर्ड स्प्रिट) के क्रय का विवरण-

थोक दुकान (एफ0एल0-16/ आसवनी का नाम जहाँ से स्प्रिट क्रय की गई है	मात्रा (ब0ली0में)	क्रय करने की तिथि

8. (a)क्या किसी अन्य जनपद के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-16) से डिनेचर्ड स्प्रिट का क्रय किया जा रहा है? हाँ या नहीं-

(b) क्या फुटकर अनुज्ञापी द्वारा किसी आसवनी से डिनेचर्ड स्प्रिट क्रय की गयी है? हाँ या नहीं-

9. स्टाक का सत्यापन (बल्क लीटर में) तीव्रता (प्रतिशत् वी/वी)

लेखानुसार स्टाक-

वास्तविक स्टाक-

व्यतिक्रम/अन्तर-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-

10. क्या डिनेचर्ड स्प्रिट रखने की सीमा (Limit of Possesion) से अधिक मात्रा में डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री तो नहीं की जा रही है? हाँ या नहीं-

11. क्या निर्धारित तीव्रता (60 डिग्री ओवर प्रूफ या 91.40 प्रतिशत वी/वी) से कम तीव्रता की डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री तो नहीं की जा रही है? हाँ या नहीं।

12. क्या बिक्री के लिए निर्धारित समय से पूर्व अथवा समय के पश्चात्डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री तो नहीं की जा रही है? हाँ या नहीं-

13. (a)एफ0एल017 दुकानों में विकृत स्प्रिट युक्त समस्त पात्रों पर लाल रंग में छपा लेबिल लगाया गया है? हाँ या नहीं।

(b)क्या पात्रों पर चस्पा लेबिल पर खोपड़ी तथा एक दूसरे को काटती हुयी हड्डियों का निशान प्रदर्शित है? हाँ या नहीं-

(c)क्या पात्रों पर चस्पा लेबिल पर हिन्दी व उर्दू में "पीने का निषेध है" अंकित है? हाँ या नहीं-

(d) क्या लेबिल पर चेतावनी "जहर-खबरदार पीना मत खतरनाक है" शब्द अंकित है? हाँ या नहीं-

14. (a) क्या डिनेचर्ड स्प्रिट की फुटकर दुकान पर निर्धारित साइन बोर्ड लगा है? हाँ या नहीं-

(b)क्या साइन बोर्ड पर हिन्दी व उर्दू में निम्नलिखित वाक्य अंकित है-

" विकृत स्प्रिट विष है, इसके पीने से जीवन और स्वास्थ्य को खतरा है"

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15.क्या अनुज्ञापी द्वारा डिनेचर्ड स्प्रिट की दैनिक आय व बिक्री तथा अवशेष का दैनिक लेखा अनुरक्षित किया जा रहा है? हाँ या नहीं-

16.डिनेचर्ड स्प्रिट की दुकान के अन्दर साफ सफाई की स्थिति-

17.क्या अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

18.अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

19.शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं-

20.क्या अनुज्ञापी द्वारा डिनेचर्ड स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाया जा रहा है? हाँ या नहीं-

21.निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- **210** ई-1-तेरह/2018**,** दिनॉक **30** जनवरी**,** का 2018 **(**संलग्नक-**3)**

एफ0एल0-39,40 तथा 41 अनुज्ञापनों के निरीक्षण की चेकलिस्ट

जनपद का नाम

निरीक्षण की तिथि व समय- निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम-

1. इकाईकानाम- स्थान का नाम-
2. (a)अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता-

   (b)पैन नम्बर-

   (c)आधार नम्बर-

   (d) मोबाइल नम्बर-
3. इकाई का अधिकारियों द्वारा चलित वर्ष में कृत निरीक्षण का विवरणः-

क्रम सं.	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम	निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4

4. अनुज्ञापन के नवीनीकरण का विवरणः-

   (a) अनुज्ञापन प्रथम बार निर्गत करने की तिथि-

   (b) अनुज्ञापन निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम-

   (c) चलित वर्ष में नवीनीकरण की तिथि-

   (d) नवीनीकरण करने वाले अधिकारी का नाम-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. इकाई को चलित वर्ष में एस0डी0एस0 का कितना कोटा स्वीकृत है व इकाई द्वारा कितना कोटा उठाया गया है?
6. क्या एस0डी0एस0 के प्रत्येक पारेषण (कन्साइनमेन्ट) का नियमानुसार संबंधित आबकारी निरीक्षक से सत्यापन कराया गया है?
7. (a)चलित वर्ष में 1 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक उठाई गई व प्रयोग की गई एस0डी0एस0 की मात्रा का माहवार विवरण-

   (b)क्या इकाई द्वारा प्रतिदिन का लेखा नियमानुसार रखा जा रहा है?
8. क्या इकाई द्वारा उत्पाद का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है? उत्पाद के निर्माण कार्य हेतु इकाई के पास क्या-क्या उपकरण है?
9. क्या एस0डी0एस0 स्टोरेज व प्लान्ट के परिसर की स्थिति ब्लू प्रिन्ट के अनुसार नियमानुसार है? इकाई के स्वीकृत ब्लू प्रिन्ट के अनुसार क्या इकाई के पास इतना बड़ा परिसर है, जिसमें इकाई सुविधानुसार अपना उत्पादन कर सकती है।
10. क्या इकाई द्वारा निर्धारित अभिलेखों का अद्यतन लेखा रखा जा रहा है।
11. क्या एस0डी0एस0 का छीजन सीमान्तर्गत है? यदि नहीं, तो इकाई के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
12. इकाई में नियुक्त स्टाफ की संख्या-

    इकाई में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण इकाई के मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि से लिया जाए। स्टाफ की शैक्षिक योग्यता का भी विवरण दिया जाए।
13. क्या इकाई में एस0डी0एस0 के स्टोरेज हेतु स्थापित वैट की गेजिंग की गयी है। क्या वैट का गेज चार्ट अनुमोदित है?
14. निरीक्षण के समय रा-मैटीरियल का अलग-अलग स्टाक लिया जाय। चलित वर्ष में कितना रा-मैटिरियल खरीदा गया व प्रयोग किया गया। आईटमवार उसका विवरण दिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाय। रा-मैटिरियल के खरीद से सम्बन्धित रसीदों व इनवाइस की फोटो प्रतियाँ निरीक्षण टीप के साथ संलग्न की जाए।

15. क्या इकाई द्वारा प्राप्त की गई एस0डी0एस0 का स्टाक आबकारी निरीक्षक के ताले में रखी जाती है। क्या इस बात का प्रमाण अभिलेखों में अंकित है कि एस0डी0एस0 से उत्पाद तैयार करने हेतु रा-मैटिरियल आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में मिलाया जाता है?

16. इकाई का विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर कितना रहा? इसमें इकाई द्वारा एस0डी0एस0 खरीदने पर खर्च की गई धनराशि, उत्पादन का खर्चा, उत्पाद की बिक्री से प्राप्त धनराशि व लाभ कितना हुआ है, उसका विवरण दिया जाये। बिक्री से सम्बन्धित रसीदों की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ निरीक्षण टीप के साथ संलग्न की जाये।

17. इकाई द्वारा तैयार उत्पाद किन-किन पार्टियों को बेचा गया, इसका चलित वर्ष में 01 अप्रैल से निरीक्षण की तिथि तक का विवरण निम्न प्रारूप में दिया जाए।

दिनांक	पार्टी का नाम जिसे उत्पाद बेचा गया	उत्पाद का नाम व मात्रा	बिक्री की रसीद का नम्बर व दिनांक	प्राप्त धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5

18. इकाई द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पाद व इकाई में संचित एस0डी0एस0 के नमूने लिये जायें तथा उन्हें केमिकल एक्जामिनर व आबकारी लैबों में नियमानुसार परीक्षण कराया जाए।

19. क्या इकाई के उत्पादन के सैम्पुल पहले टेस्ट कराये गये हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण निम्न प्रारूप में दिया जाए।

सैम्पुल लेने की तिथि	सैम्पुल लेने वाले अधिकारी का नाम	उत्पाद का नाम	कहाँ टेस्ट कराया गया।	टेस्ट रिपोर्ट क्या रही	क्या कोई कार्यवाही टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर वांछित है।
1	2	3	4	5	6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20. क्या इकाई जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत है? क्या इकाई ने गतवर्ष व चलित वर्ष हेतु जी0एस0टी0 विभाग में कोई विवरण दिया है, यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो विवरण की प्रमाणित प्रति ली जाय।

21. इकाई का गतवर्ष का टर्न ओवर कितना है। क्या इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गयी है? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हाँ तो विवरण की प्रमाणित प्रति ली जाए।

22. क्या परिसर में इकाई के नाम का बोर्ड नियमानुसार लगा है?

23. क्या एस0डी0एस0 के बर्तनों/ बैट्स पर खोपड़ी व हड्डी का चिन्ह अंकित है तथा खतरे के लेबिल लगाये हैं।

24. क्या इकाई को उनकी लागत के अनुपात में लाभ हो रहा है? अर्थात् क्या इकाई को चलाना लाभप्रद है? प्रत्येक विवरण का सत्यापन इकाई के मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि से मौके पर करा लिया जाए।

25. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।